



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

November 6, 2020

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	20	पृष्ठ संख्या	135												
जिला का नाम	राँची	अनुमंडल नाम	सदर	अंचल का नाम	बड़ागाँई	हलका का नाम	हल्का-04	इस्टेट का नाम	JHARKHAND						
मौजा का नाम	मोरहाबादी	होलिडिंग संख्या	0	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	192	खाता का प्रकार	रैयती						
मुन्नी कुमारी , पति-राजेश कुमार झा, जाति- -----															
खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार											लगान	सेस
107	1693	0 ऐ 11 डि 0 वर्गफीट	दा० खा० अपील वाद सं० 339 R 15/19-20 में भू० सु० उपसमाहर्ता के आदेश एवं उनके ज्ञापक 1426 (II) दिनांक 19.06.20 के अनुपालन में अंचलाधिकारी के आदेशानुसार दर्ज किया गया।											25	6.25
	कुल परिमान	0 ऐ 11 डि 0 हे													
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल		
07-16-2020	0171666242	2019-2020	2020-2021	25	25	6.25	6.25	12.5	12.5	12.5	12.5	5	5		

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

List Of Case Status Details

नक्शा देखें



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें।

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर, राँची।

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-339 R 15/2019-20

मुन्नी कुमारी

.....अपीलकर्ता।

बनाम्

सरकार

.....प्रतिवादी।

आदेश

मुन्नी कुमारी, पति-श्री राजेश कुमार झा, D/O-श्री अशोक चौधरी, निवासी-कोकर चौक, आदर्श नगर, थाना-सदर, जिला-राँची ने अंचल अधिकारी, बड़ागाई अंचल, राँची के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०-2101 R 27/2019-20 में दिनांक-17.02.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है, जिसके द्वारा मौजा-मोरहाबादी, थाना सं०-192, खाता सं०-107, प्लॉट सं०-1693, रकबा-11 डी० भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलकर्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि मौजा-मोरहाबादी, थाना-बरियातु, थाना सं०-192, खाता सं०-107, प्लॉट सं०-1693, रकबा-11 डी० भूमि आर०एस० खतियान में सहोदरी देवी के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत की मृत्यु अपने दो पुत्र मनबोध बड़ाईक एवं जीतु बड़ाईक को वैध उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर हो गयी जो जमीन पर दखलकार हुए। मनबोध बड़ाईक एवं जीतु बड़ाईक अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि खाता सं०-107 का आपसी बंटवारा किया एवं वादग्रस्त भूमि जीतु बड़ाईक को हिस्से में मिली। जीतु बड़ाईक भी अपनी एक मात्र पुत्री सोनमईत देवी को छोड़कर हुई, जो वैध उत्तराधिकारी होने के कारण जमीन पर दखलकार हुई एवं अपने नाम से जमीन का नामान्तरण कराया तथा जमीन का लगान रसीद राज्य सरकार को भुगतान किया। उक्त सोनमईत देवी उक्त भूमि को अपीलकर्ता को केवाला सं०-6077, दिनांक-27.08.2019 द्वारा बेच दी तथा उसे जमीन पर दखल-कब्जा दिया। जमीन क्रय कर अपीलकर्ता जमीन के नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, बड़ागाई को आवेदन पत्र दिया जो दाखिल खारिज वाद सं०-2101 R 27/2019-20 द्वारा पंजीकृत किया गया, जिसे दिनांक-17.02.2020 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपेक्षित कागजात जमा नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, बड़ागाई द्वारा पूरी जाँच-पड़ताल किये बिना ही अपीलकर्ता का नामान्तरण आवेदन को खारिज किया गया है। अन्त में अपीलकर्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी उनके बिक्रेता के नाम से कायम है तथा जमीन पर उनका दखल-कब्जा है। अतः अंचल अधिकारी द्वारा उक्त नामान्तरण वाद में दिनांक-17.02.2020 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बड़ागाई द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०-2101 R 27/2019-20 में दिनांक-17.02.2020 को पारित आदेश का अवलोकन किया। इसके अवलोकन से पता चलता है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अस्वीकृत किया गया है। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया

Certified Photo Copy Compered
by me.....
17/2

Certified to be true copy
Date.....
17/2
Record Keeper/Head Clerk
LRDC Sadar, Ranchi

इसके अवलोकन से पता चलता है, अपेक्षित कागजात जमा नहीं करने के कारण अस्वीकृत किया है।

अपीलकर्ता द्वारा खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न की गई है जिसके अवलोकन से पता चलता है कि जमीन खतियान में मसोमात सहोदरी देवी जौजे जगना बड़ाईक के नाम से आर०एस० खतियान में दर्ज है तथा जमीन की जमाबन्दी अपीलकर्ता के बिक्रेता सोनमईत देवी के नाम से पंजी-11 में दर्ज है जो खतियानी रैयत के वंशज है। जमीन पर अपीलकर्ता का दखल-कब्जा है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अंचल अधिकारी, बड़ागाई द्वारा दाखिल खारिज वाद सं०-2101 R 27/2019-20 में दिनांक-17.02.2020 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपील स्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, बड़ागाई, राँची को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।


लेखापित एवं संशोधित।

13.3

उप समाहर्ता भूमि सुधार
सदर, राँची।

13.3

उप समाहर्ता भूमि सुधार
सदर, राँची।



Certified Photo Copy Compered
by me.....
17/8/20

Certified to be true copy
Date.....
17/8/20
Record Keeper/Head Clerk
LRDC Sadar, Ranchi



P.No 250
10.8.2020

आवेदन पत्र का शुल्क.....05=00
अतिरिक्त शुल्क.....
प्रमाणीकरण शुल्क.....
प्रतिलिपिकरण शुल्क.....20=00

कुल = 25=00

(पञ्चाह इकन रात्र)

- (1) प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तिथि 10.8.2020
- (2) स्टाम्प और फोलियो की आपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तिथि 10.8.2020
- (3) आपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तिथि 17.8.2020
- (4) तिथि जिनकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार की 17.8.2020
- (5) आवेदक को प्रतिलिपि देने की तिथि 17.8.2020

17-8-2020

प्रधान लिपिक

कार्यालय उप समाहर्ता भू सु०, सदर राँची

17.8.2020